न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी—

एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या—05 / 2017

बीरबल पुत्र मालाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी ढाणी बागा पड़तान, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज0।

—अपीलान्ट

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. मामचन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बागा पड़तान की ढाणी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज0।
3. महावीर पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी बागा पड़तान की ढाणी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज0।
4. श्रीमती मोहिन देवी पत्नी प्रताप सिंह, जाति जाट निवासी बागा पड़तान की ढाणी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज0।
5. सरिता पुत्र स्व प्रताप सिंह जाति जाट निवासी बागा पड़तान की ढाणी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज0।
6. आशीष पुत्र स्व. प्रताप सिंह सरिता पुत्र स्व प्रताप सिंह जाति जाट निवासी बागा पड़तान की ढाणी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज0।
7. दयाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बागा पड़तान की ढाणी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू राज।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2017
न्यायालय तहसीलदार बुहाना मु.न. 02 / 2015
<u>मुकदमा उनवानी मामचन्द बनाम बीरबल वगैरह</u>

उपस्थितः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट——————— रेस्पोडेन्ट नंबर 1 की ओर से।
3. श्री विनोद गिल,एडवोकेट——रेस्पोन्डेन्ट नंबर 2 लगायत 7 की ओर से।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

– निणर्य–   दिनांक–24.07.2017

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.02.2017 मुकदमा नंबर 02/2015 उनवानी मामचन्द बनाम बीरबल वगैरह, तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि –रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द पुत्र सूरजा राम की ओर से पूर्णतया अस्पष्ट, आधारहीन तथ्यों का एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मलसीसर के समक्ष पेश किया गया जिसमें अपीलांट के खेत के पूर्व दिशा में ए से बी तथाकथित कदीमी रास्ता होना बताया, जिसे अपीलान्ट द्वारा तारबन्दी करके बंद करना बताया व सुखाचार प्राप्त होना बताकर रास्ता को खुलवाने बाबत तथ्य दर्ज किये। उक्त आवेदन पत्र का विस्तृत जवाब व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रार्थी / अपीलांट की ओर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब, दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बगैर ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने पत्रावली संख्या 02/2015 उनवान मामचन्द बनाम बीरबल वगैर बाबत खुलवाने रास्ता में निर्णय दिनांक 07.02.2017 पारित कर आदेश दिया कि–खसरा नंबर 64 में प्रचलित कदीमी रास्ता जहां से पूर्व में खुलवाया गया था, वहीं से खुलवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं, माननीय तहसीलदार मलसीसर के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का उक्त निर्णय दिनांक 07.2.2017 पूर्णतया अस्पष्ट, वेग, पत्रावली में मौजुद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के बिल्कुल विपरित होने से तथा सम्पूर्ण निर्णय में कहीं भी धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत निर्णय पारित होने का उल्लेख न होने से विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होने से प्रथमदृष्टया ही अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र दिनांक 16.6.2015 का संपूर्ण अवलोकन व मनन किया जावे तो इस सम्पूर्ण आवेदन पत्र में कोई जमीन खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है। तथाकथित कदीमी रास्ता होना, सुखाचार होना तो दर्ज किया है, किन्तु किस खसरा नंबर की जमीन में से तथाकथित रास्ता है, सम्पूर्ण आवेदन पत्र मे दर्ज नहीं है। आवेदन पत्र का अनुतोष लिखा है–प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ए बी जगह से बन्द रास्ता को खुलवाया जावे। किस खसरा नंबर में से, कौनसा कदीमी रास्ता, क्या राजस्व रिकार्डस हैं, कुछ भी दर्ज नहीं किया, कानूनन भी बिना मांगे कोई रिलिफ न्यायालय नहीं दे सकता। आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों के विपरित अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खेत खसरा नंबर 64 में से कदीमी रास्ता होना मानने में भयंकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 64 के राजस्व रिकार्ड्स नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन नहीं किया जिसमें कोई कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। स्वीकृत रूप से उक्त राजस्व रिकार्डस को दुरूस्त करवाने का कोई दावा या आवेदन पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश नहीं हुआ। धारा 91 साक्ष्य अधिनियम दस्तावेजी साक्ष्य के

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

प्रतिकूल मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन करती है। राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त कराने का आवेदन पत्र पेश किये बगैर वर्तमान आवेदन पत्र धारा 251 पेश करने का रेस्पोन्डेन्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल गौर नहीं किया कि खेत खसरा नंबर 64 में से कोई रास्ता अप्रार्थीगण रेस्पोंडेन्ट नंबर 2 लगायत 5 के खेत में से नहीं जाता और ना ही राजस्व रिकार्ड में भी तथाकथित रास्ता जाने का अथवा होने का इन्द्राज है। पुराने एवं नये नक्शा ट्रेस में भी खसरा नंबर 64 में से कोई तथाकथित रास्ता नहीं गुजरता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र में लिखा कि उक्त तथा कथित रास्ता पुराने नक्शाशीट में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है,जो उक्त रास्ता कहीं भी रास्ते की ताईद करता है। जिससे पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पूर्वज तथा वर्तमान में स्वयं अपने खेत में जोहड़ में जाना बताया है। एबीसी कदीमी रास्ता बताया था किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारी ने नई नक्शा शीट बनाते समय उक्त डोटेड लाईन को हटा देना बताया गया। वास्तविक रूप से मौके पर खसरा नंबर 64 में से कोई कदीमी रास्ता नहीं गुजरता है। यदि खसरा नंबर 64 में से कोई कदीमी रास्ता गुजरता तो रास्ते का इन्द्राज अवश्य रेवेन्यू रिकार्ड में होता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यू रिकार्ड व नक्शा शीट की अनदेखी कर रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बगैर जल्दबाजी से यह आक्षेपित निर्णय पारित कर रास्ता खुलवाने का अदेश पारित किया है। जब नक्शा ट्रेस में ही खसरा नंबर 64 में से होकर कोई तथाकथित रास्ता नहीं है तो राजस्व रिकार्ड के प्रतिकूल कैसे रास्ता माना जा सकता है। इस प्रकार भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7.2.2017 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का एक भी शब्द दर्ज नहीं किया । प्रारम्भ में लिख दिया–सार्वजनिक हित व रास्ते से संबंधित प्रकरण है। क्या यही न्यायिक प्रक्रिया है, बिना अभिवचनों व दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य का मनन व विवेचन किये निर्णय की शुरूआत इस प्रकार की जावे। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 8 का भी कोई तथ्य निर्णय में दर्ज नहीं किया न ही न्यायिक दृष्टांतों को दर्ज किया। पूरा निर्णय एक तरफा है जो कानूनन अवैधानिक है तथा निरस्त होने योग्य है। जब ऐसा ही निर्णय देना था तो क्यों न्यायिक प्रक्रिया का अवलम्बन किया गया। क्या जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता थी, क्या मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में लिखा है कि पत्रावली में मौका निरीक्षण किया गया। किसेने कब मौका

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निरीक्षण किया, दर्ज नहीं है। क्या मौका रिपोर्ट बनाई, कोई फर्द बनाई, कोई मौका रिपोर्ट पत्रावली पर है या नहीं यह भी पत्रावली में दर्ज नहीं । रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 5 भी पक्षकार थे, किन्तु निर्णय दिनांक 7.2.2017 में रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द के अलावा किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया गया। क्या यह आवश्यक नहीं था। इस प्रकार भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट विरूद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है।दौराने विचारण ही अप्रार्थी प्रतापसिंह का देहान्त दिनांक 14.12.2016 को हा गया था, किन्तु उसके विधिक वारिसान को रिकार्डस पर लेने का कोई आवेदन पत्र रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 ने पेश नहीं किया न पक्षकार बनाया गया। उक्त मृतक प्रताप सिंह के विधिक वारिसान को वर्तमान अपील में बतौर रेस्पोडेन्टस पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने निर्णय में उल्लेख किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मामचन्द ने पहले भी उक्त आशय की लिखित शिकायत गिरदावर व तहसीलदार को की थी, जिस शिकायत की जांच के दौरान मौके पर पटवारी हल्का व गिरदावार ने मौका देखा तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2014 को तैयार की थी। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2014 के अनुसार भी अपीलांट बीरबल की जमीन खसरा नंबर 64 के पूर्व में किसी भी तरह का कोई कच्चा या पक्का कटानी रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 64 की पूर्व सीमा जहा खत्म होती है, वहीं से ग्राम मलसीसर की सीमा प्रारम्भ होना तथा चारागाह भूमि होना दर्ज है। उक्त आशय की पुनः शिकायत करने पर पटवारी हल्का गौखरी ने दिनांक 13.4.2015 को मौका देखा तथा मौका रिपोर्ट तैयार की जिसके अनुसार भी भूमि खसरा नंबर 64 में कोई कदीमी रास्ता नहीं है तथा खसरा नंबर 64 में गोचर भूमि की तरफ जाने के लिए सर्वेशीट के अनुसार कोई कच्चा पक्का रास्ता नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार मलसीसर ने जांच रिपोर्ट दिनांक 5.1.2015 को तैयार की उसमें भी खसरा नंबर 64 में से कोई कटानी रास्ता नहीं होना माना। इनत माम दस्तावेजों से पर्याप्त रूप से साबित होते हुये भी कि खेत खसरा नंबर 64 में से कोई कटानी रास्ता नहीं होना माना । इनत माम दस्तावेजों से पर्याप्त रूप से साबित होते हुये भी कि खेत खसरा नंबर 64 में से न तो कोई कटानी या अन्य कदीमी रास्ता है और ना ही कोई रास्ता संबंधी सुखाचार था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट ने उक्त पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2014 व मौका रिपोर्ट पटवार हल्का दिनांक 13.4.2015 को प्रदशित करवाया जो क्रमश प्रदर्श डी–6, डी–7 व डी–8 है, किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्टस पर भी गौर मनन किये बगैर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल

...नि जिला कलेक्टर

की है। खेत खसरा नंबर 63 व 64 के पुराने खसरा नंबर 168 थे, जिसके नक्शा सर्वे शीट में डोटेड लाईन दर्शाई गई थी, वह डोटेड लाईन बगडंडी में रास्ते की थी और वह पगडंडी भी खसरा नंबर 64 में से न होकर खसरा नंबर 63 में से भी थी। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाह मनोज सिंह पटवारी हल्का गौखरी के बयान का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया जिसमें गवाह ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि डी–6 व डी–7 रिपोर्ट के अनुसार मेरे द्वारा देखे गये मौके के अनुसार बीरबल अपीलांट के खेत में से होकर कोई कच्चा या पक्का रास्ता नहीं जाता है। इसके अलावा प्रदर्श डी–8 जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसके अनुसार भी कच्चा व पक्का रास्ता नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट व बयानों के विपरित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नंबर 64 में से कोई रास्ता जाने का उल्लेख किसी भी गवाह नहीं नहीं किया जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गवाह के कथनों पर विश्वास करने में भारी भूल की है।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलांट की अपील विरूद्ध रेस्पोन्डेट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.2.2017 मु0नं0 02/2015 उनवानी प्रकरण मामचन्द बनाम बीरबल वगैरह को खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का उक्त निर्णय दिनांक 07.2.2017 पूर्णतया अस्पष्ट, वेग, पत्रावली में मौजुद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के बिल्कुल विपरित होने से तथा सम्पूर्ण निर्णय में कहीं भी धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 के तहत निर्णय पारित होने का उल्लेख न होने से प्रथमदृष्टया ही विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र दिनांक 16.6.2015 का संपूर्ण अवलोकन व मनन किया जावे तो इस सम्पूर्ण आवेदन पत्र में कोई जमीन खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है। तथाकथित कदीमी रास्ता होना,

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

सुखाचार होना तो दर्जं किया है, किन्तु किस खसरा नंबर की जमीन में से तथाकथित रास्ता है, सम्पूर्ण आवेदन पत्र मे दर्ज नहीं है। आवेदन पत्र का अनुतोष लिखा है–प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ए बी जगह से बन्द रास्ता को खुलवाया जावे। किस खसरा नंबर में से, कौनसा कदीमी रास्ता, क्या राजस्व रिकार्डस हैं, कुछ भी दर्ज नहीं किया, कानूनन भी बिना मांगे कोई रिलिफ न्यायालय नहीं दे सकता। आवेदन पत्र में दर्ज तथ्यों के विपरित अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खेत खसरा नंबर 64 में से कदीमी रास्ता होना मानने में भयंकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 64 के राजस्व रिकार्ड्स नक्शा ट्रेस का भी अवलोकन नहीं किया जिसमें कोई कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। स्वीकृत रूप से उक्त राजस्व रिकार्डस को दुरूस्त करवाने का कोई दावा या आवेदन पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश नहीं हुआ। धारा 91 साक्ष्य अधिनियम दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन करती है। राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस को दुरूस्त कराने का आवेदन पत्र पेश किये बगैर वर्तमान आवेदन पत्र धारा 251 पेश करने का रेस्पोन्डेन्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल गौर नहीं किया कि खेत खसरा नंबर 64 में से कोई रास्ता अप्रार्थीगण रेस्पोंडेन्ट नंबर 2 लगायत 5 के खेत में से नहीं जाता और ना ही राजस्व रिकार्ड में भी तथाकथित रास्ता जाने का अथवा होने का इन्द्राज है। पुराने एवं नये नक्शा ट्रेस में भी खसरा नंबर 64 में से कोई तथाकथित रास्ता नहीं गुजरता है। यदि खसरा नंबर 64 में से कोई कदीमी रास्ता गुजरता तो रास्ते का इन्द्राज अवश्य रेवेन्यू रिकार्ड में होता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यू रिकार्ड व नक्शा शीट की अनदेखी कर रिकार्ड पर मौजूद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बगैर जल्दबाजी से यह आक्षेपित निर्णय पारित कर रास्ता खुलवाने का अदेश पारित किया है। जब नक्शा ट्रेस में ही खसरा नंबर 64 में से होकर कोई तथाकथित रास्ता नहीं है तो राजस्व रिकार्ड के प्रतिकूल कैसे रास्ता माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7.2.2017 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का एक भी शब्द दर्ज नहीं किया । प्रारम्भ में लिख दिया–सार्वजनिक हित व रास्ते से संबंधित प्रकरण है। क्या यही न्यायिक प्रक्रिया है, बिना अभिवचनों व दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य का मनन व विवेचन किये निर्णय की शुरूआत इस प्रकार की जावे। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 8 का भी कोई तथ्य निर्णय में दर्ज नहीं किया न ही न्यायिक दृष्टांतों को दर्ज किया। पूरा निर्णय एक तरफा है जो कानूनन अवैधानिक है तथा निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

ने अपने उक्त निर्णय में लिखा है कि पत्रावली में मौका निरीक्षण किया गया। किसने कब मौका निरीक्षण किया, दर्ज नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 5 भी पक्षकार थे, किन्तु निर्णय दिनांक 7.2.2017 में रेस्पोन्डेन्ट मामचन्द के अलावा किसी का भी नाम दर्ज नहीं किया गया। क्या यह आवश्यक नहीं था। इस प्रकार भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट विरूद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। दौराने विचारण ही अप्रार्थी प्रतापसिंह का देहान्त दिनांक 14.12.2016 को हो गया था, किन्तु उसके विधिक वारिसान को रिकार्डस पर लेने का कोई आवेदन पत्र रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 ने पेश नहीं किया न पक्षकार बनाया गया। उक्त मृतक प्रताप सिंह के विधिक वारिसान को वर्तमान अपील में बतौर रेस्पोडेन्टस पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने निर्णय में उल्लेख किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मामचन्द ने पहले भी उक्त आशय की लिखित शिकायत गिरदावर व तहसीलदार को की थी, जिस शिकायत की जांच के दौरान मौके पर पटवारी हल्का व गिरदावार ने मौका देखा तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2014 को तैयार की थी। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2014 के अनुसार भी अपीलांट बीरबल की जमीन खसरा नंबर 64 के पूर्व में किसी भी तरह का कोई कच्चा या पक्का कटानी रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 64 की पूर्व सीमा जहां खत्म होती है, वहीं से ग्राम मलसीसर की सीमा प्रारम्भ होना तथा चारागाह भूमि होना दर्ज है। उक्त आशय की पुनः शिकायत करने पर पटवारी हल्का गौखरी ने दिनांक 13.4.2015 को मौका देखा तथा मौका रिपोर्ट तैयार की जिसके अनुसार भी भूमि खसरा नंबर 64 में कोई कदीमी रास्ता नहीं है तथा खसरा नंबर 64 में गोचर भूमि की तरफ जाने के लिए सर्वेशीट के अनुसार कोई कच्चा पक्का रास्ता नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार मलसीसर ने दिनांक 5.1.2015 को जो जांच रिपोर्ट तैयार की उसमें भी खसरा नंबर 64 में से कोई कटानी रास्ता नहीं होना माना। इन तमाम दस्तावेजों से पर्याप्त रूप से साबित होते हुये भी कि खेत खसरा नंबर 64 में से न तो कोई कटानी या अन्य कदीमी रास्ता है और ना ही कोई रास्ता संबंधी सुखाचार था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट ने उक्त पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2014 व मौका रिपोर्ट पटवार हल्का दिनांक 13.4.2015 को प्रदशित करवाया जो क्रमश प्रदर्श डी–6, डी–7 व डी–8 है, किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्टस पर भी गौर मनन किये बगैर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। खेत खसरा नंबर 63 व 64 के पुराने खसरा नंबर 168 थे, जिसके नक्शा सर्वे शीट में डोटेड लाईन दर्शाई गई थी, वह डोटेड लाईन

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

पगडंडी में रास्ते की थी और वह पगडंडी भी खसरा नंबर 64 में से न होकर खसरा नंबर 63 में से भी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाह मनोज सिंह पटवारी हल्का गौखरी के बयान का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया जिसमें गवाह ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि डी–6 व डी–7 रिपोर्ट के अनुसार मेरे द्वारा देखे गये मौके के अनुसार बीरबल अपीलांट के खेत में से होकर कोई कच्चा या पक्का रास्ता नहीं जाता है। इसके अलावा प्रदर्श डी–8 जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसके अनुसार भी कच्चा व पक्का रास्ता नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट व बयानों के विपरित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 07.02.2017 निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016 आर0बी0जे0 331, आर.आर.टी. 2017 1 पेज 396, आर.बी.जे. 2001 पेज 425, 333, आर. आर.टी. 2006 1 पेज 5 व 19, आर.आर.डी. 1990 पेज 364, आर.आर.डी. 1988 पेज 143, 2016 1 आर. आर.टी. 649 पेश किये गये।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीर ने राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन से दर्ज रास्ते को अपीलांट द्वारा बंद किये जाने पर आमजन की परेशानी एवं सुखाधिकार के अन्तर्गत विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट नंबर 2 लगायत 7 की ओर से श्री विनोद गिल एडवोकेट ने दौराने बहस बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने कोई नया रास्ता कायम नहीं किया। राजस्व रिकार्ड में दर्ज डोटेड कदीमी रास्ता जो मौके पर चालू था, को अपीलांट द्वारा बंद किये जाने पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये और विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पत्रावली पर पूर्ण साक्ष्य ली जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिनांक 07.02.2017 पारित किया गया था जिसकी पालना में मौके पर रास्ता खोला जा चुका है वर्तमान में रास्ता चालू है । अपीलांट ने अपील पत्रावली पर आई साक्ष्य से बाहर जाकर मनगंढत तथ्य प्रस्तुत किये हैं जो सारहीन होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने का

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निवेदन किया तथा अपने पक्ष समर्थन में आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 387, आर.आर.डी 2011 पेज नंबर 484, आर.आर.डी 2012 पेज नंबर 383 प्रस्तुत किये।

मैंने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पर उपलब्ध अभिकथनों एवं साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने अपने निर्णय दिनांक 07.02.2017 में पत्रावली पर आई साक्ष्य का बिना विश्लेशण किये दो लाईन–आमजन की सुविधा संतुलन के सिद्धांत को मध्यनजर रखते हुये कदीमी प्रचलित रास्ते को आम जन की सुविधा में खुलवाया जाना उचित प्रतीत होता है और ख0नं0 64 में से कदीमी रास्ते जहां से पूर्व में खुलाया गया था वहीं से खुलवाये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी अंकित नहीं किया कि राजस्व रिकार्ड की स्थिति क्या रही है, पूर्व में रास्ता कहां से कहा खोला गया था, क्या पत्रावली पर पूर्व में खोले जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने किस कानून की किस धारा में यह रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, अपने निर्णय में अंकित नहीं है। तहसीलदार मलसीसर ने निर्णय पारित करने से पूर्व रिकार्ड एवं पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य का पूर्ण विश्लेषण नहीं किया ना ही उन्होंने नक्शा शीट के अनुसार राजस्व रिकार्ड की पूर्व एवं वर्तमान क्या स्थिति का अपने निर्णय में उल्लेख किया। तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर नहीं है। उक्त निर्णय के अवलोकन से लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने उक्त वादग्रस्त रास्ता खोले जाने हेतु केवल खानापूर्ति की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बाबत उठाये गये ऐतराज एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अध्ययन एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2017 मु0 नं0 02/2015 उनवानी मामचन्द बनाम बीरबल निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्वयं जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली पर आई साक्ष्य का पूर्ण विवेचन किया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू (राज.)